न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
118/2012	दावा 177 RTA	10.07.2012	14.07.2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. हुसेन पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
2. रजाकर पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
3. कादर पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
4. जमाल पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
5. इस्माईल पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
6. सुगरा पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
7. जेतुन पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
8. माफिया पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
9. हाजरा पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
10. सदीक पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
11. आमीन पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
12. सलीम पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
13. शोकत पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
14. सफिया पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
15. चुकिया बेवाह पत्नी भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
16. असगर पुत्र भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
17. रमजान पुत्र भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
18. साबीरा पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
19. जुबेदा पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
20. नसीम पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
21. माफिया पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
22. बानू पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
23. इस्माईल पुत्र रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
24. बिसमिला पुत्री रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
25. हाजरा पुत्री रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
26. उपपंजीयक चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित — 1. पैरोकार राज्य उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि
1.यह कि रोही ग्राम कस्बा चूरू के खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 10.08 बीघा, व खसरा नं. 160 रकबा 7.02 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01

44

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

से 25 के पूर्वजों के नाम लाला, अकबर, पि. अबरू, भेलू पुत्र दीना, मैना बेवा रहमतुल्ला वगैरह के नाम से संयुक्त खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है।

2.यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 25 खातेदारों पिता/पूर्वजों को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है। जिसे करने के लिए खातेदार व खातेदारों के वारिसान पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकते हैं परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यों या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है।

3.यह कि वादी मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 25 खातेदार व खातेदारों के वारिसान द्वारा बिना अनुमति प्रापत किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि का अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया व भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग कार्य करने भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

4.यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 25 खातेदार व खातेदारो के वारिसान ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे में उक्त भूमि को छोडा जाना उचित नहीं है क्योंकि खातेदार व खातेदारों के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 25 कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्यकरने फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली योग्य हो गये है।

5.यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से 25 के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य है व बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये है जिसके लिए माननीय न्यायालय को आरटी एक्ट की धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5) में श्रवणाधिकार प्राप्त है।

6.यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से 25 खातेदार व खातेदारों के वारिसान द्वारा उक्त भूमि के आवासीय भूखण्डों (प्लॉटस) के विक्रय पत्र बिना भूमि का रूपान्तरण कराये बालाबाला प्रतिवादी सं. 26 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाने की संभावना है इस कारण प्रतिवादी सं. 26 उप पंजीयक चूरू को पक्षकार बनाया गया है।

7.यह कि वादी की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 25 को पटवारी हल्का के माध्यम से वादगत भूमि का अकृषि उपयोग में न लेने हेतु बार-बार कहा गया मगर प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे व आखिर दिनांक 18.06.2012 को प्रतिवादी ऐसा करने से इंकार हो गये। अतः इसी दिनांक को वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक प्राप्त हुआ है।

8.यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त है तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है चुंकि दावा राज्य सरकार की तरु से प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

9\. 1. अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि कस्बा चूरू की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 159 रकबा 10.08 बीघा एवं खसरा नं. 160 रकबा 7.02 बीघा, को प्रतिवादी संख्या 01 से 25 को खातेदारों से हटायी जाकर राजकीय सिवायचक भूमि घोषि की जावें।

2\. प्रतिवादी संख्या 01 से 25 [illegible] ने का आदेश जारी किया जावें।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधि[illegible] होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तल[illegible] 02, 04, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता भंवरसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 23 से 25 की ओर से संतलाल राहड ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 03 व 05 की ओर से अब्दुल गफार खान ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से सुशीलशर्मा व प्रतिवादी संख्या 06 से 08 की ओर से अधिकवत अब्दुल गफार ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से आनन्द बालान ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबारी साया की गई। प्रतिवादी संख्या 15, 17 से 22 की ओर अधिवक्ता सुशील शर्मा उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ताओं की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली साक्ष्या वादी में नियत की गई। पैरोकार राज की ओर से निवेदन किया गया कि दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को ही साक्ष्य माना जावे जिस पर साक्ष्य वादी बंद की गई पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली बहस में नियत की गई। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद बहस नहीं की गई जिस पर पैरोकार राज की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं कि वादी द्वारा वाद पत्र में यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 159 (10.08 बीघा) एवं खसरा संख्या 160 (7.02 बीघा) स्थित रोही, कस्बा चूरू, राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 से 25 के पूर्वजों एवं संबंधित खातेदारों के नाम से बारानी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। यह भूमि मूलतः राजस्थान सरकार की है, जिसे केवल कृषि कार्य हेतु काश्त हेतु खातेदारी दी गई थी। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का बिना विधिक रूपांतरण (conversion) कराए अवैध प्लॉटिंग, मिट्टी समतलीकरण, सड़क निर्माण, मकान निर्माण कर भूमि का कृषि से अकृषि रूपांतरण कर दिया है, जो कि कानून के विपरीत है। वादी द्वारा हल्का पटवारी की दिनांक 08.06.2012 की रिपोर्ट, नकल जमाबंदी, नक्शा अक्स, आदि दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रतिवादीगण को तलब किया गया, किन्तु अधिकांश प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। कुछ के अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से निम्न प्रकार आक्षेप किया गया है भूमि राज्य सरकार की है, खातेदारी केवल कृषि प्रयोजन हेतु दी गई थी।बिना अनुमति भूमि पर अकृषि कार्य जैसे प्लॉटिंग, मकान निर्माण करना अवैध है। भूमि की प्रकृति को हानि पहुँचाकर नियमों की अवहेलना की गई है। यह कार्यवाही भूमि से खातेदारी हटाने और प्रतिवादीगण को बेदखल करने योग्य है। प्रतिवादीगण ने बिना रूपांतरण के प्लॉटों के विक्रय की भी संभावनाएं उत्पन्न की हैं। प्रतिवादी संख्या 26 उपपंजीयक, चूरू को भी पक्षकार बनाया गया जिससे कोई भी अवैध पंजीकरण न हो।

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया नकल जमाबंदी वर्ष संवत 2067–70 नक्शा अक्स खसरा नं. 159 व 160 हल्का पटवारी की दिनांक 08.06.2012 की रिपोर्ट वाद पत्र में उल्लिखित कथनों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि चार मकान बने हुए पाए गए हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं, शेष भूमि पर प्लॉटिंग व समतलीकरण का कार्य हुआ है। ये कार्य बिना किसी रूपांतरण के किए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 व धारा 63(1)(5) के अनुसार यदि कोई खातेदार भूमि का प्रयोग नियमों के विरुद्ध करता है, जैसे कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिए उपयोग करना, तो वह भूमि के खातेदारी अधिकार से वंचित हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर बेदखली की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 159 तादादी 10 बीघा 08 बिश्वा व खसरा नम्बर 160 तादादी 07 बीघा 02 बिश्वा रोही कस्बा चूरू प्रतिवादी सं. 1 से 25 या इनके पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

उप खण्ड अधिकारी ★ चूरू (राजस्थान) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–वादी–

बनाम

1. हुसेन पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
2. रजाकर पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
3. कादर पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
4. जमाल पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
5. इस्माईल पुत्र लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
6. सुगरा पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
7. जेतुन पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
8. नाफिया पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
9. हाजरा पुत्री लाला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
10. सदीक पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
11. आमीन पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
12. सलीम पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
13. शोकत पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
14. सफिया पुत्र अकबर जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
15. चुकिया बेवाह पत्नी भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
16. असगर पुत्र भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
17. रमजान पुत्र भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
18. साबीरा पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
19. जुबेदा पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
20. नसीम पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
21. माफिया पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
22. बानू पुत्री भोलू जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
23. इस्माईल पुत्र रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
24. बिसमिला पुत्री रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
25. हाजरा पुत्री रहमतुल्ला जाति तेली निवासी तेलियों की मस्जिद के पास, चूरू
26. उपपंजीयक चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नं. 118 सन् 2012

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल ... हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब ... जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 159 तादादी 10 बीघा 08 बिश्वा व खसरा नम्बर 160 तादादी 07 बीघा 02 बिश्वा रोही कस्बा चूरू प्रतिवादी सं. 1 से 25 या इनके पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्र सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested